03/01/2020

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

06 JAN 2020
135

जयपुर, दिनांक 3/1/2020

क्रमांकः– प. 9(1) पद सृजन / गृह–10 / 2019

आदेश

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2019 एवं 20.09.2019 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत गठित विशेष न्यायालयों जिला बाडमेर, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर, नागौर एवं पाली में कुल 6 अस्थाई पदों का सृजन अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 एल–15 के अर्न्तगत वित्त (व्यय–4) विभाग कि आई डी सख्या 101903437 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा किया गया था।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत गठित विशेष न्यायालय अलवर मे अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन का स्वीकृत पद विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अशाटीप कमांक प08(3) राज / वाद / 98 पार्ट–2 दिनांक 26.11.2019 के कम में इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2019, 20.09.2019 एवं 24.10.2019 तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एस.एन. व्यास)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग।
3. शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– IV) विभाग।
6. विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बाडमेर, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर, नागौर एवं पाली ।
7. समस्त उप / सहायक निदेशक अभियोजन।
8. संस्थापन्न राजपत्रित, एसी.आर. शाखा।
9. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली।

1/1/2020
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

10